सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2018/00109

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

श्रीमती सतवीर कौर बनाम स्टेट व विरेन्द्र सिंह शेरगिल

अपील प्रकरण सं0 24/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 19.04.2018 | अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के पति के नाम से चक 12 आर.बी. के मु.न. 5 के 3.00 बीघा व 13 आर.बी. के मु.न. 48–49 के 9.00 कुल 12 बीघा थी अपीलान्टा के पति का देहान्त दिनांक 17.11.2016 को हुआ तथा चक 13 आर.बी. की भूमि का इन्तकाल अपीलान्टा के नाम से हुआ मगर रेस्पोडेन्ट ने तथ्यों को छिपा कर कथित वसीयत के आधार पर चक 12 आर.बी.की भूमि का गलत इन्तकाल करवा लिया तथा भूमि को मुन्तकिल करने का प्रयास किया, खरीददार 24.03.2018 को आया तो पता चला कि कोई आदेश करवाया है। इस पर अपील पेश की व इन्तकाल में आदेश का विवरण अंकित होने से कानूनी सलाह मिलने पर नकल आदेश लेकर यह अपील पेश की गई। यदि रेस्पोडेन्ट गलत इन्तकाल के आदेश पर चक 12 आर.बी. की भूमि को मुन्तकिल करने में सफल हुआ तो अपीलान्टा को ही ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं अपील का मकसद समाप्त होगा। वसीयत के बारे में सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है अतः कानूनन इन्तकाल नहीं किया जा सकता था। अतः ता फैसला अपील इन्तकाल जेर अपील को स्टे करना न्यायहित में आवश्यक है वरना मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जान माल का नुकसान हो सकता है। लिहजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैसला अपील इन्तकाल आदेश दिनांक 19.07.2017 को स्टे करने का हुक्म फरमाया जावें।<br><br>बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख के आलोक में मामले पर विचार किया। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 19.07.2017 है जिसकी पालना में वसीयत के आधार पर वसीयत में अंकित भूमि चक 13 आर.बी. का इन्तकाल नम्बर 468 अपीलार्थीया के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त वसीयत में चक 12 आर.बी. की भूमि भी इसी वसीयत में अंकित है का इन्तकाल उसके नाम से दर्ज न करके वसीयत गृहींता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम किया जाना संदेहास्पद है। प्रथम दृष्टया मामला एक ही वसीयत में वर्णित सम्पति का भिन्न–भिन्न सिद्वांतो को आधार बनाकर नामान्तरकरण भरा जाना सन्देहास्पद है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का ओदश दिनांक 19.07.2017 प्रथम दृष्टया न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थीया के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 19.07.2017 द्वारा चक 12 आर.बी. के मु.न. 5 के 3.00 बीघा व 13 आर.बी. के मु.न. 48–49 के 9.00 कुल 12 बीघा भूमि पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.05.2018 तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पाबन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 07.05.2018 को पेश हो। | 87, 88/2017 |

Scanned with CamScanner

Continuation Note Sheet Gen. No. 13

12/10/20 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ........................ है। पत्रावली दिनांक 20/10/20 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20/10/20

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट का आपस में पंचायत द्वारा राजीनामा करवा दिया है। इसलिए अपीलान्ट अब उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है। लिहाजा मुकदमा इसी स्टेज पर दाखिल दफ्तर किया जावे।

अपीलार्थीया एवंम रेस्पोन्डेन्टस का पंचायत द्वारा राजीनामा करवाये जाने पर अपील अपीलार्थी निर्णय शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner